



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र 1948 (श10)

(सं0 पटना 1145) पटना, मंगलवार, 22 सितम्बर 2026

सं० सि०वि०वि०(योजना)-09-20/2026 (छाया)-1300
सिविल विमानन विभाग

संकल्प

18 सितम्बर 2026

विषयः— भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना Modified UDAN Scheme अंतर्गत राज्य में हवाई संपर्क के विस्तार हेतु नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति के संबंध में।

Modified UDAN Scheme का मुख्य उद्देश्य बिहार के असेवित (Unserved) एवं अल्प-सेवित (Underserved) क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ना, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना तथा आम नागरिकों के लिए किफायती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य में पर्यटन, व्यापार, उद्योग, निवेश एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, राज्य के पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर परिवहन संपर्क उपलब्ध कराया जाना है।

2. दिनांक-19.05.2026 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में छपरा, भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज तथा बेगूसराय क्षेत्र में हवाई अड्डा का निर्माण Modified UDAN Scheme अंतर्गत किये जाने का सुझाव दिया गया। साथ ही इन हवाई अड्डों के आस-पास बड़े हवाई अड्डा का निर्माण किये जाने के कारण अत्यधिक समय लगने की संभावना को देखते हुए Modified UDAN Scheme में चयन नहीं होने पर भी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डे को चालू रखने का निदेश दिया गया।

3. दिनांक-16.08.2026 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में Modified UDAN Scheme विषय पर नीतिगत निर्णय लेने के संबंध में हुई बैठक में विमान ईंधन (ATF) के लिए रियायती दर पर मूल्य वर्धित कर (VAT) की दर शून्य प्रतिशत किये जाने के संबंध में वाणिज्य कर विभाग को अधिसूचना निर्गत किये जाने का निदेश दिया गया।

4. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक-17.07.2026 के ई०मेल द्वारा Modified UDAN Scheme से संबंधित दिशा-निर्देश तथा समझौता ज्ञापन (MoU) प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

इस समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दु हैं:-

प्रथम पक्षकार (बिहार सरकार) का उत्तरदायित्व:-**बिहार सरकार (GoB) निम्नलिखित उपलब्ध कराएगी:-**

- क) RCS मार्गों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा देय VGF का 20 प्रतिशत राज्यांश वहन किया जाएगा। सामान्य राज्यों के लिए योजना में 20 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में RCS मार्गों के लिए योजना में 10 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है।
- ख) RCS उड़ानों के लिए विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) पर योजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक लागू कर/वैट में आवश्यक रियायत प्रदान की जाएगी।
- ग) जहाँ राज्य सरकार के स्वामित्व/नियंत्रण वाले भू-भाग की आवश्यकता होगी, वहाँ योजना एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने तथा आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग किया जाएगा।
- घ) RCS विमानपत्तन पर आवश्यक सुरक्षा, अग्निशमन, विद्युत, जलापूर्ति, सड़क संपर्क, संचार तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था/उपलब्धता सुनिश्चित करने में राज्य सरकार द्वारा सहयोग किया जाएगा।
- ङ) विमानपत्तन के विकास एवं RCS उड़ानों के परिचालन से संबंधित विभिन्न अनुमतियों, स्थानीय प्रशासनिक सहयोग एवं समन्वय हेतु संबंधित विभागों/जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
- च) राज्य सरकार RCS के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों पर निर्धारित अवधि तक उड़ानों के सफल संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं योजना में निर्धारित राज्य स्तरीय दायित्वों का निर्वहन करेगी।

द्वितीय पक्षकार (केन्द्र सरकार) का उत्तरदायित्व:-

- क) केंद्र सरकार कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से योजना का प्रशासन और कार्यान्वयन करेगी तथा योजना, लागू बोली या आवंटन दस्तावेजों और इस MoU के अनुसार केंद्रीय स्तर पर सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

पूर्वोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार RCS मार्गों के संबंध में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) का अपना लागू हिस्सा प्रदान करेगी, जो कि है:-

- (i) उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में RCS मार्गों के लिए कुल VGF आवश्यकता का अस्सी प्रतिशत (80%) और
- (ii) उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में RCS मार्गों के लिए कुल VGF आवश्यकता का नब्बे प्रतिशत (90%) या ऐसा अन्य अनुपात जो योजना के तहत पात्रता शर्तों की संतुष्टि के अधीन, समय-समय पर योजना के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- ख) चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों को योजना के प्रावधानों के अनुसार VGF उपलब्ध कराने में भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय अंश प्रदान किया जाएगा।
- ग) RCS मार्गों पर विमान सेवा संचालित करने हेतु चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों का चयन योजना में निर्धारित पारदर्शी बोली/चयन प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
- घ) योजना के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार बिहार राज्य से संबंधित पात्र मार्गों का चयन/स्वीकृति भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।
- ङ) योजना के अंतर्गत पात्र असेवित/अल्प-सेवित विमानपत्तनों के पुनरुद्धार/ विकास हेतु योजना के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- च) विमानन क्षेत्र से संबंधित भारत सरकार के अधीन आने वाली आवश्यक अनुमतियों, विनियामकीय प्रावधानों तथा संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

5. परियोजना के लिए केन्द्र सरकार (द्वितीय पक्ष), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य सभी हितधारकों के साथ संपर्क करने के लिए सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

6. भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना Modified UDAN Scheme अंतर्गत राज्य में हवाई संपर्कता के विस्तार हेतु नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति का प्रस्ताव पर दिनांक-15.09.2026 को संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-11 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,
डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1145-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>